بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

Office of The sadar Majlis Ansarullah Bharat

دفتر صدر مجلس انصار اللہ بھارت

Ph. +91-01872-220186, Fax, +91-01872-224186, Mob, +91-9815494687, E-Mail: ansarullahbharat@gmail.com

सारांश ख़ुत्बः ईदुल-अज़्हियः सैय्यदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़तुल मसीहिल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ दिनांक **25.11.16** मस्जिद बैतुल फ़तूह, लंदन।

प्रत्येक विभाग का काम है कि निर्णय लेते समय अपनी सम्पूर्ण प्रतिभाओं के साथ विचार विमर्श तथा प्रत्येक चीज़ की सूक्षमता को सम्मुख रखते हुए निर्णय ले।

विशेष रूप से प्रत्येक ओहदेदार तथा साधारणतः प्रत्येक अहमदी दुनया के सामने एक रोल मॉडल होना चाहिए।

प्रत्येक अहमदी को याद रखना चाहिए कि दायित्व केवल ओहदेदारों ही का नहीं, प्रत्येक अहमदी भी उत्तरदायी है। उनका दायित्व है कि वे परस्पर सम्बंधों में उदाहरण स्थापित करें, न्याय प्रक्रियाएँ पूरी करें, अपने आचरण को उच्च स्तर तक पहुंचाएँ।

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूरः फ़ातिहः की तिलावत के पश्चात हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوّٰمِيۡنَ بِالۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوۡ عَلٰٓى اَنۡفُسِكُمۡ اَوِ الۡوَالِدَيۡنِ وَالۡاَقۡرَبِيۡنَ‌ۚ اِنۡ يَّكُنۡ غَنِيًّا اَوۡ فَقِيۡرًا فَاللّٰهُ اَوۡلٰى بِهِمَا‌ۘ فَلَا تَتَّبِعُوا الۡهَوٰٓى اَنۡ تَعۡدِلُوۡا‌ۚ وَاِنۡ تَلۡوٗۤا اَوۡ تُعۡرِضُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرًا ۱۳۵

फ़रमाया- इस आयत का अनुवाद है कि हे वे लोगो! जो ईमान लाए हो अल्लाह के लिए साक्षी बनते हुए न्याय को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने वाले बन जाओ, चाहे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देनी पड़े अथवा माता-पिता और निकट सम्बंधियों के विरुद्ध, चाहे कोई धनवान हो अथवा निर्धन, दोनों का अल्लाह ही उत्तम निरीक्षक है अतः अपनी इच्छाओं का अनुसरण न करो जिसके कारण न्याय से फिर जाओ और यदि तुमने गोल मोल बात की अथवा विमुखता दिखाई तो निःसन्देह जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूर्णतः अवगत है।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- हम दुनया को कहते हैं कि दुनया की समस्याओं का समाधान इस्लाम की शिक्षा में है। इसके लिए हम क़ुरआन की शिक्षा पेश करते हैं। मेरे कैनेडा के दौरे के समय एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि तुम क्या समाधान पेश करते हो आजकल की समस्याओं का। मैंने उसे कहा कि तुम दुनया वाले तथा दुनया की महा शक्तियाँ अपने घमंड में समस्याओं का समाधान करने और दुनया में अमन क़ायम करने तथा कट्टर वाद को रोकने के लिए अपने पूरे प्रयास कर चुके हो परन्तु समस्याएँ वहीं की वहीं हैं। एक प्रयास अभी नहीं हुआ और वह इस्लाम की शिक्षा के प्रकाश में इस समस्या का समाधान है। इस पर मौन तो धारण कर लेते हैं, उस समय तो किसी पत्रकार ने सीधे मुझसे यह नहीं कहा कि यदि इन आदेशों का कोई वास्तविक औचत्य है तो पहले मुस्लिम देश अपना सुधार करें परन्तु उन के मस्तिष्क में ये विचार आ सकते हैं तथा उठते होंगे इस लिए मैं अपने उन भाषणों में जो साधाणतः अन्य लोगों के सामने होते हैं, उनमें पहले मुसलमानों की अवस्था का वर्णन करके फिर उनको, उन शक्तियों को, उनका अपना चेहरा दिखाता हूँ और पत्रकारों के सामने तथा विभिन्न इन्टरव्यूज़ में यह बताता हूँ कि मुसलमानों का इनके अनुसार काम न करना भी इस्लाम की और आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का प्रमाण है क्यूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट रूप से फ़रमा दिया था कि मुसलमानों की ऐसी दशा हो जाएगी कि वे इस्लाम के यथार्थ को भुला देंगे तथा अपने स्वार्थ एंव व्यक्तिगत लाभ, उनकी प्राथमिकता बन जाएँगे। उस समय जब ऐसी अवस्था होगी तो आपके सच्चे

ग़ुलाम का प्रकटन होगा जिसका वर्णन क़ुरआन में भी है तथा जिसके प्रकटन के ज़माने की निशानियाँ क़ुरआन-ए-करीम ने भी बयान फ़रमाईं और आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़े स्पष्ट रूप से खोल कर बयान फ़रमाईं। इस लिए एक अहमदी मुसलमान के लिए इन प्रस्थितियों में परेशान होने के बजाए एक दृष्टि से ख़ुशी का अवसर है। यह संतुष्टि है कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की जो दशा बयान की थी तथा विशेष रूप से आलिमों की स्थिति की जो पेशगोई फ़रमाई थी, वह पूरी हुई। हम अहमदी मुसलमान इस दृष्टि से भी ख़ुश हैं कि हम आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्य वाणी के दुसरे भाग को भी पूरा करने वालों में शामिल हैं और अल्लाह तआला के भेजे हुए दूत और आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम मसीह मौऊद और मेहदी मअहूद को मानने वाले भी हैं। परन्तु क्या इतनी बात हमें हमारा उद्देश्य प्राप्त करने वाला बना देगी? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हममें से प्रत्येक को विचार करना चाहिए। यह आयत जो मैंने तिलावत की है, यह आयत मैं अपनी अनेक तक़रीरों में जो ग़ैरों के सामने बयान करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि इस्लाम जब न्याय और इंसाफ़ क़ायम करने को कहता है तो उसके लिए जो स्तर बताता है वह इस आयत में उल्लिखित है और अधिकांश लोग इससे बड़े प्रभावित होते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं में इसका वर्णन भी करते हैं परन्तु हमारा काम केवल ज्ञान वर्धन के लिए उनको प्रभावित करना नहीं है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें क़ुरआन के आदेशों का क्रियान्वित उदाहरण दिखाने की आवश्यकता है। दुनया हमसे पूछ सकती है कि तुम्हारा एक जमाअती निज़ाम है, तुम एक संगठन हो, तुम एक हाथ पर उठने और बैठने वाले होने का दावा करते हो, तुम्हारा एक दूसरे के साथ आर्थिक और सामाजिक वासता पड़ता है, क्या तुम न्याय और ईमानदारी के उस स्तर पर अपने निर्णय लेते हो। अल्लाह तआला ने इस आयत में एक स्थान पर आरम्भ में 'क़िस्त' का शब्द प्रयोग किया है तथा दूसरे स्थान पर 'अद्ल' का, जिसका अर्थ है बराबरी, सम्पूर्ण न्याय तथा उत्तम आचरण का स्तर, किसी भी प्रकार के भेदभाव से पूर्णतः शुद्ध होना तथा बिना किसी झुकाव और दुर्भावना के काम करना। अब हममें से प्रत्येक को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या इन बातों को सम्मुख रखते हुए हम अपने मामले तय करते हैं? क्या हम ये स्तर स्थापित करने के लिए अपने वालिदैन के विरुद्ध गवाही देने के लिए तय्यार हैं? क्या हम ये स्तर स्थापित करने के लिए अपने निकट सम्बंधियों के विरुद्ध गवाही देने के लिए तय्यार हैं। निकट सम्बंधियों से यहाँ अभिप्रायः सबसे पहले तो बच्चे हैं। क्या हम ये स्तर स्थापित करने के लिए अपनी इच्छाओं को दबाने का साहस रखते हैं तथा इसको क्रियान्वित रंग में दिखा भी सकते हैं? ये सब ऐसी बातें हैं जो छोटी चीज़ नहीं। इस ज़माने में आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम ने ये नमूने क़ायम करके हमें दिखाए। अतः एक घटना आती है कि क़ादियान के किसानों के साथ एक पारिवारिक मुक़दमा चल पड़ा तथा कृषकों के पक्ष में सच्चाई बयान करके इस मुक़दमें में आपने अपने परिवार की आर्थिक हानि की कोई चिंता नहीं की बल्कि उन निर्धन कृषकों को यह ज्ञान होने बावजूद कि आप मालिक हैं, इस सम्पत्ति में भागीदार हैं, न्यायालय में आपकी गवाही पर निर्णय करने को कहा क्यूँकि उन्हें पता था कि आप सदैव सत्य एंव न्यास पर क़ायम होते हुए साक्ष्य देंगे। अतः आपने उनके पक्ष में गवाही दी।

अतः आप अलै. ये स्तर अपने मानने वालों में भी स्थापित फ़रमाना चाहते हैं इस लिए कि आप वह जमाअत बनाना चाहते हैं जो क़ुरआन-ए-करीम के आदेशों के अनुसार कार्य करने वाली हो, जिसकी नेकियों के स्तर बुलन्द हों इसलिए आपने क़ुरआन-ए-करीम की हुकूमत को पूर्णतः अपने सिर पर क़बूल करने की प्रतिज्ञा हमसे बैअत में ली है। क़ुरआन-ए-करीम में एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता है कि وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَاَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि दुश्मन क़ौमों की दुश्मनी तुम्हें न्याय करने में बाधित न हो, न्याय पर स्थापित रहो कि तक़्वा इसी में है। फ़रमाया- मैं सच सच कहता हूँ कि शत्रु के साथ आतिथ्य से पेश आना सरल है परन्तु दुश्मन के अधिकारों की रक्षा करना तथा मुक़दमों में इंसाफ़ और न्याय को हाथ से न देना, यह बड़ा कठिन तथा केवल शौर्य वीरों

का काम है। फ़रमाते हैं- अधिकांश लोग अपने शत्रुओं से प्रेम तो करते हैं और मीठी मीठी बातों से पेश आते हैं परन्तु उनके अधिकारों का हनन करते हैं। एक भाई दूसरे भाई से मुहब्बत करता है और मुहब्बत की आड़ में धोखा देकर उसके अधिकार दबा लेता है। आप अलैहिस्सलाम अपनी जमाअत के लोगों से यह आशा करते हैं कि उनके स्तर अति बुलन्द हों तथा वे कर्म हों जो क़ुरआन की शिक्षानुसार हों। अधिकारों का हनन करने वालों तथा अन्याय करने वालों में शामिल न हों। यदि निर्णय करने का अधिकार मिले तो प्रत्येक सम्बंध से ऊपर उठकर निर्णय हो, चाहे इस निर्णय से अपने आपको हानि हो रही हो अथवा अपने माता पिता की हानि हो रही हो अथवा निकट सम्बंधियों, अपने बच्चों की हानि हो रही हो परन्तु न्याय के उच्च स्तर हर हाल में स्थापित होने चाहिएँ। अतः ये नमूने जब हम आपस में क़ायम करेंगे तो दुनया को भी कह सकेंगे कि आज हम हैं जो अपने भीतर ये बदलाव लाकर तथा इस्लाम की शिक्षानुसार काम करके शत्रु से भी न्याय करने का साहस रखते हैं और करते हैं। सच्ची गवाही देते हैं, चाहे अपने विरुद्ध हो, अपने वालिदैन के विरुद्ध हो अथवा अपने बच्चों और अन्य निकट सम्बंधियों के विरुद्ध देनी पड़े। ये नमूने हम इस लिए स्थापित कर रहे हैं कि भविष्य में दुनया का मार्ग दर्शन हमने करना है। यदि ये नमूने नहीं तो हम अल्लाह तआला के आदेशों से दूर जाकर अपनी प्रतिज्ञाओं से विश्वासघात कर रहे होंगे।

अतः प्रत्येक अहमदी को और विशेष रूप से ओहदेदारों को यह देखने की आवश्यकता है कि वे किस सीमा तक अपनी अमानतों के हक़ अदा करते हुए इंसाफ़ और न्याय के इस स्तर पर स्थापित हैं कि उनका प्रत्येक निर्णय जो है वह न्याय के उच्च स्तरों का प्राप्त करने वाला हो। मैं कैनेडा गया हूँ तो वहाँ भी कुछ ओहदेदारों के बारे में लोगों को शिकायत है कि न्याय से काम नहीं लेते। प्रत्येक विभाग का काम है कि निर्णय लेते समय अपनी सम्पूर्ण प्रतिभाओं के साथ विचार विमर्श तथा प्रत्येक चीज़ की सूक्षमता को सम्मुख रखते हुए निर्णय ले, अल्लाह तआला से सहायता मांगे कि उचित निर्णय का सामर्थ्य प्रदान करे, कोई निर्णय लेने से पूर्व दुआ अवश्य करनी चाहिए।

अल्लाह तआल क़ुरआन-ए-करीम में फ़रमाता है कि وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ अर्थात मोमिन वे हैं जो अपनी अमानतों तथा ओहदों का ध्यान रखते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूँ कि यह न समझें कि केवल केन्द्रीय ओहदेदार ही सम्बोधित हैं बल्कि सदर तथा उनकी आमला के मेम्बर भी शामिल हैं जिनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या वे न्याय की समस्त प्रक्रियाएँ पूरी कर रहे हैं और केवल कैनेडा की बात नहीं है जर्मनी से भी यही शिकायतें हैं तथा यहाँ भी और अन्य कुछ देशों में भी। अतः अपने व्यवहारों को ठीक रखने की आवश्यकता है अन्यथा न्याय की प्रक्रिया पूरी न करके, न केवल अमानत और ओहदों का ध्यान नहीं रख रहे बल्कि विश्वासघात कर रहे हैं और अल्लाह तआला फ़रमाता है कि वह विश्वासघात करने वालों को पसन्द नहीं करता। सेवा करके पुण्य लेने के बजाए अन्याय करके अथवा अहंकार दिखाकर अल्लाह तआला की नाराज़गी लेने वाले बन जाते हैं। अतः हमारे ओहदेदारों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या वे अल्लाह तआला के बताए हुए नियम के अनुसार न्याय की समस्त प्रक्रियाएँ भी कर रहे हैं? अपने काम से भी इंसाफ़ कर हैं तथा जिनसे वास्ता पड़ रहा है, उनसे भी न्याय कर रहे हैं? केवल सदर होना या सैक्रेट्री होना या अमीर होना कोई मूल्य नहीं रखता न किसी की मुक्ति के सामान करने वाले हैं ये ओहदे, न ही अल्लाह तआला पर अथवा उसकी जमाअत पर कोई उपकार है। यदि ये अपनी अमानतों तथा ओहदों के उस प्रकार हक़ अदा नहीं कर रहे, जिस प्रकार ख़ुदा तआला चाहता है तो सब व्यर्थ है। अतः विशुद्ध होकर केवल अल्लाह तआला के लिए प्रत्येक ओहदेदार को काम करना चाहिए तथा प्रत्येक निर्णय में न्याय प्रक्रिया पूरी करें। यदि कोई मामला सामने आए जिसके विषय में पहले अनुचित निर्णय हो चुका हो तो जैसा कि मैंने कहा, अपनी भूल स्वीकार करते हुए उन निर्णयों को ठीक करें, अपने आचरण को भी ठीक करें और अल्लाह तआला के उस आदेश को भी याद रखें कि وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا अर्थात लोगों के साथ विनम्रता एंव विनय पूर्वक बात करो, उच्च आचरण से बात करो। जैसा कि मैंने कहा कि विश्व के प्रत्येक

देश में ओहदेदारों को आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है, हमें प्रत्येक मामले में अपने नमूने क़ायम करने की आवश्यकता है। हमारा प्रत्येक ओहदेदार विशेष रूप से तथा प्रत्येक अहमदी सामान्य रूप से दुनया के सामने एक रोल मॉडल होना चाहिए। प्रत्येक अहमदी को याद रखना चाहिए कि दायित्व केवल ओहदेदारों ही का नहीं है, प्रत्येक अहमदी भी उत्तरदायी है। उनका दायित्व है कि वे आपस के सम्बंधों में उदाहरण स्थापित करें, न्याय की प्रक्रिया पूरी करें, अपने आचरण को उच्च श्रेणी तक पहुंचाएँ। एक दूसरे से व्यवहार में सम्पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार के भेदभाव से अपने आपको पाक करें, किसी भी ओर उनका झुकाव न हो। अहमदी की गवाही और बयान अपने न्याय तथा सत्य की दृष्टि से एक उदाहरण बन जाए और दुनया यह कहे कि यदि अहमदी ने गवाही दी है तो फिर उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता क्यूँकि यह साक्ष्य न्याय के उच्च स्तर तक पहुंचा हुआ है। यदि हम यह कर लें तो हम अपने भाषणों में, अपनी बातों में, अपनी तबलीग़ में सच्चे हैं, अन्यथा जैसे दूसरे वैसे हम।

प्रत्येक अहमदी को याद रखना चाहिए कि हमने अपनी बैअत के एहद में समस्त प्रकार की बुराईयों से बचने की प्रतिज्ञा की है और प्रतिज्ञा पर ध्यान न देना तथा जान बूझकर इसके अनुसार कर्म न करना विश्वासघात है। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वास्तविक मोमिन की निशानी बयान फ़रमाते हुए फ़रमाते हैं कि किसी व्यक्ति के दिल में ईमान और कुफ्र तथा सत्य और झूठ एकत्र नहीं हो सकते तथा न ही अमानत और ख़यानत एकत्र हो सकते हैं। फिर एक हदीस में आप स. ने फ़रमाया, जो ओहदेदारों को भी सामने रखनी चाहिए तथा प्रत्येक अहमदी को भी कि तीन बातों के विषय में मुसलमान का दिल ख़यानत नहीं कर सकता और वे तीन बातें ये हैं, ख़ुदा तआला के लिए काम में निष्ठा, दूसरे प्रत्येक मुसलमान के प्रति शुभधारणा और तीसरे मुसलमानों की जमाअत के साथ मिलकर रहना। अल्लाह तआला प्रत्येक अहमदी को यह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इंसाफ़ की प्रक्रिया पूरी करने वाले बनें। कभी किसी भी प्रकार की यदि गवाहियों की आवश्यकता पड़े तो उसमें विश्वासघाती न हों। जमाअत का प्रत्येक ओहदेदार अपने दायित्वों को समझे, अपने ओहदों और अपनी कर्त्तव्यों को पूरा करने वाला और अदा करने वाला हो। अपने समस्त दायित्वों को न्याय प्रक्रिया पूरी करते हुए अदा करने वाला हो। यह सुन्दर शिक्षा हमारी पीढ़ियों में भी जारी रहे तथा इसके लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए ताकि जब समय आए तो हम दुनया में वास्तविक न्याय स्थापित करके दिखाने वाले हों। वह न्याय जो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्थापित फ़रमाया और जिसके नमूने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम ने क़ायम फ़रमाए तथा जिसकी आशा आपने अपने मानने वालों से भी रखी। अल्लाह तआला हमें इसका सामर्थ्य भी प्रदान करे।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- नमाज़ के बाद मैं कुछ जनाज़े ग़ायब भी पढ़ाऊँगा। पहला जनाज़ा मुकर्रम अदनान मुहम्मद करोया साहब जो हलब के रहने वाले थे, सीरिया के, इनका जिन्हें 2013 में सीरिया के एक आतंकी संगठन ने अपहरण किया था इसके बाद शहीद किया।

फ़रमाया- दूसरा जनाज़ा मुकर्रम बशीर बेगम साहिबा पत्नि चौधरी मंज़ूर अहमद साहब चीमा दर्वेश क़ादियान का जो 7 नवम्बर 2016 को 93 वर्ष की आयु में अल्पकालीन बीमारी के बाद वफ़ात पा गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन

तीसरा जनाज़ा ग़ायब मुकर्रम राणा मुबारक अहमद साहब का है जो लाहौर के रहने वाले थे इसके बाद यहाँ आ गए। 5 नवम्बर 2016 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन

हुज़ूर पूर नूर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने तीनों मृतकों के हालात बयान फ़रमाए तथा उनके सदगुणों का वर्णन फ़रमाया।